FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर बायतु

अज अदालत.....जिला बाड़मेर.....मुकाम.....

.....मेगाराम.....बनाम.....नं. बापत

किस्म मुकदमा.....प्रार्थना पत्र 86 RLR act नं. 39/2022 सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.22	प्रार्थी/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री .....रघुनाथ..... ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा .....86..... राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18.10.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर	
18/10/2022	प्रार्थी स्वयं व प्रार्थी पक्ष की उपस्थित। तहसीलदार बामदु का नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी मेगाराम द्वारा अपने कब्जे के सम्बन्ध में शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक - 27/10/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर	मेगाराम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/10/2022	प्रार्थी पक्षील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बहस सुनी गई, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बदले के सम्बन्ध शपथ-पत्र तथा पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

न्यायालय सहायक
(पीठासीन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व आवेदन संख्या– 391 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मेगाराम पुत्र चौथाराम जाति मेघवाल निवासी लुनाड़ा, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

उपस्थित :–

1. श्री नरपत पूनड़ प्रार्थीगण वकील

–: आदेश :– **दिनांक : 27.10.2022**

प्रार्थीगण ने यह रिव्यू प्रार्थना अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की मौजा चैनोणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 668 / 266 रकबा 14.02 बीघा किस्म बारानी सोयम पर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि राजकीय होने के कारण प्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई एवं संवत् 2068 से आज दिनांक तक प्रार्थीगण का अतिक्रमी के रूप में उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा उद्घोषणा अतिक्रमी काश्तकारों के नियमन करने की जारी की गई जिस पर प्रार्थीगण द्वारा नियमन हेतु आवेदन पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा तहसीलदार गिड़ा से तथ्यात्मक रिर्पोट मंगवाई गई तथा नियमन कमेटी के समक्ष प्रकरण को रख कर आदेश क्रमांक राजस्व / 2022 / 07 दिनांक 03.06.2022 द्वारा प्रार्थीगण के संवत् 2076, 2077 में अतिक्रमी व कब्जा काश्त नहीं होने का हवाला देते हुए, आवेदन को खारिज कर दिया। जबकि प्रार्थीगण का संवत् 2068 से आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रार्थीगण के संवत् 2068 से आज दिनांक तक अतिक्रमी व कब्जा काश्त होने के बावजूद भी पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों व कानूनी बिन्दु पर मनन नहीं करते हुए प्रार्थीगण का नियमन आवेदन खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा मौजा चैनोणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 668 / 266 रकबा 14.02 बीघा का नियमन करने का रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया। साथ ही रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने की देरी को माफ करने हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश कर, उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को सदभावी भूल मानते हुए एवं इस रिव्यू प्रार्थना पत्र में निहित उक्त देरी के लिए क्षमा मांगते हुए रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

रिव्यू प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, विप्रार्थी तहसीलदार बायतु को सम्मन जारी किया गया। तहसीलदार बायतु का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। प्रार्थीगण द्वारा अपने कब्जे के संबंध में शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा चैनोणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 668 / 266 रकबा 14.02 बीघा सरकारी भूमि पर प्रार्थीगण का संवत् 2068 से आज दिनांक तक कब्जा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

काश्त होने व राजस्थान सरकार के विभागीय आदेश कमांक प.6(44)राज–6/2021/22 जयपुर दिनांक 06.12.2001 के अनुसार प्रार्थीगण पात्रता रखने के बावजूद भी उक्त भूमि का प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन नहीं किया जाकर, प्रार्थीगण का नियमन आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू आवेदन स्वीकार कर आदेश कमांक राजस्व/2022/07 दिनांक 03.06.2022 को निरस्त किया जाकर, मौजा चैनोणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 668/266 रकबा 14.02 बीघा भूमि का नियमन प्रार्थीगण के नाम से करने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, कानूनी बिन्दु व प्रार्थीगण द्वारा नियमन हेतु पेश की गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौजा चैनोणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 668/266 रकबा 14.02 बीघा भूमि पर संवत् 2068 से 2075 तक का कब्जा काश्त प्रमाणित है एवं संवत् 2076 व 2077 में कब्जे के संबंध में शपथ पत्र पेश किये गये है। चूंकि इस रिव्यू प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के नैसर्गिक अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण के नैसर्गिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अत : राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–4) विभाग के कमांक.प.6(6)राज.–6/97पार्ट जयपुर दिनांक 22.09.2022 के अनुसरण में प्रार्थीगण का रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद स्वीकार किया जाकर मौजा चैनोणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 668/266 रकबा 14.02 बीघा भूमि के नियमन के संबंध में जारी किये आदेश कमांक राजस्व/2022/07 दिनांक 03.06.2022 को निरस्त किया जाकर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नियमन पत्रावली को पुनः दर्ज नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, पत्रावली नियमन पत्रावली के संलग्न रहें।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

आदेश आज दिनांक 27.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर